

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक: 16-11-2016

क्रमांक एफ-10-42/2016/वाक/पांच (75) - छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक, कर के भुगतान से, दिनांक 31.03.2017 तक छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ.क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)
1.	डेबिट/क्रेडिट कार्ड स्वाईप मशीन	संपूर्ण कर

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,




(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक: 16-11-2016

क्रमांक एफ-10-42/2016/वाक/पांच (75)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-42/2016/वाक/पांच (75) दिनांक 16.11.2016 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, Dated : 16-11-2016


No. F-10-42/2016/CT/V (75)- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent as specified in column (3) of the said Schedule upto 31.03.2017, namely:-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption
(1)	(2)	(3)
1.	Debit/Credit Card Swipe Machine	Whole of tax

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in Official Gazette.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,


(A. P. Tripathi)
Special Secretary